

**प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE**
**भारतीय रिज़र्व बैंक  
RESERVE BANK OF INDIA**
वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

8 जनवरी 2025

- पर्यवेक्षी प्रतिबंधों को हटाना:** (i) आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, चेन्नई और  
(ii) डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 अक्तूबर 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित एनबीएफसी:

क्र. सं.	नाम	एनबीएफसी-श्रेणी	सीओआर	पंजीकृत
1.	आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड	एमएफआई	एन-07-00769 दिनांकित 27 सितंबर 2016	चेन्नई
2.	डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	आईसीसी	एन-14.03176 दिनांकित 5 जनवरी 2009	नई दिल्ली

को 21 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से क्रृष्ण की स्वीकृति और संवितरण बंद करने संबंधी निदेश जारी किए थे।

इसके बाद, उपर्युक्त कंपनियों ने सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की और अपने विभिन्न अनुपालनों को रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया। अब, कंपनियों की प्रस्तुतियों के आधार पर संतुष्ट होने के बाद, तथा उनके द्वारा संशोधित प्रक्रियाओं, प्रणालियों को अपनाने और विशेष रूप से क्रृष्ण मूल्य निर्धारण में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर आधार पर विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की कंपनियों की प्रतिबद्धता को देखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड और डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड दोनों पर लगाए गए उपर्युक्त प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया है।

अन्य दो एनबीएफसी अर्थात् नवी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड और आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 17 अक्तूबर 2024 के आदेशों के माध्यम से लगाए गए कारोबारी प्रतिबंधों को क्रमशः 2 दिसंबर 2024 और 3 जनवरी 2025 के आदेश द्वारा हटा लिया गया है।

(पुनीत पंचोली)

मुख्य महाप्रबंधक